



सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

13 FALGUN, 1943 (S)

No. 89

RANCHI, FRIDAY, 4th MARCH, 2022

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

4th March, 2022

Notification No.- 19/2021 – State Tax(Rate)

S.O. No. 06, Dated 4th March, 2022--In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) against S. No. 22, for the entry in column (2), the entry “0303,0304,0305,0306,0307,0308,0309” shall be substituted;

- (ii) against S. No. 43B, in column (3), for the entry, the entry “Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption” shall be substituted;
- (iii) against S. No. 49, in column (3), for the entry, the entry “Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (*Corylus* spp.), walnuts, Chestnuts (*Castanea* spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (*Cola* spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled” shall be substituted;
- (iv) after S. No. 97 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

| | | |
|------|---------------|---|
| “97A | 2009 89 90 | Tender coconut water other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE I]”; |
|------|---------------|---|

- (v) S. No. 101 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) against S. No. 141, for the entry in column (2), the entry “8807” shall be substituted;

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st Day of January, 2022.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: - The principal notification No. 2/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017 and last amended *vide* Notification No. 9/2021- State Tax (Rate), dated the 25th November, 2021, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 54, dated the 25th November, 2021.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 19/2021- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 06, दिनांक 4 मार्च, 2022--झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 43ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित राखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताज़ा, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट, चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स, ताज़ा, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा- :

| | | |
|------|---------------|--|
| "97क | 2009 89 90 | टैंडर नारियल जल, यूनिट कंटेनर में रखे गएसे भिन्न और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम ना हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम ना हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में करवाई योग्य दवा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध 1 में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]; |
|------|---------------|--|

- (v) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 141 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी०/02/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2021- राज्य कर (दर), दिनांक 25 नवम्बर, 2021 एस. ओ. सं. 57, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित,के द्वारा संशोधन किया गया था ।
